ग्राम पंचायत सिहूंड, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत सिहूंड, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रूप लेखा	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री रोशन लाल	23-01-16 से लगातार

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रमेश चन्द	16-7-08 से 18-02-15
2.	श्री संजीव कुमार	19-02-15 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में}
1.	4.2	रोकड़ बही के साथ बैंक का मिलान न करना	0.62
2.	7	प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक खर्च करने बारे	1.24
3.	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	3.20
4.	7.2	बिना औपचारिक्ता पूर्ण कर अनुदानों से भुगतान	0.67

5 .	8	औपचारिक्ता के बिना खरीद करने बारे	0. 26
6.	9	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना	0. 48
7 .	10	प्राक्कलन व माप पुस्तिका का प्रस्तुत न करना	विवरण पैरे में

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सिहूंड, विकास खण्ड नगरोटा तहसील नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है ,श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 24-08-2016 से 31-08-2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय सिहूंड में किया गया । आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03 /14, 02/15 व 02/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 10/13, 12/14 व 12/15 को चयनित किये गये।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत **सिहूंड,** विकास खण्ड **नगरोटा बगवां,** जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹5000/**- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि **₹5000/-** को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: **175 दिनांक 31 -08-16** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिहूंड से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत सिहूंड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत सिहूंड के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	95966	66013	161979	16296	145683
2014-15	145683	43750	189433	36874	152559
2015-16	152559	59217	211776	49144	162632

{2} अनुदान:- ग्राम पंचायत सिहूंड के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट-1** में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	365321	1323752	1689073	1281419	407654
2014-15	407654	1009840	1417494	907805	509689
2015-16	509689	782568	1292257	972262	319995

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB N /BAGWAN	20012008247	543558
2.	---DO-----	50055945673	574
3.	HDFC N/BAGWAN	500100006796966	0
		कुल जमा राशि	544132

4.1 बैंक समाधान विवरणी

(क) दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (1+2):- ₹ 482627

(ख) दिनांक 31-3-16 को बैंक में कुल जमा राशि :- ₹ 544132

(ग) हस्तगत राशि :- ₹77

(घ) कुल जमा :- ₹ 544209

अन्तर :- घ-क = ₹ 61582

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना

ग्राम पंचायत सिहूंड की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था ,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-16 को पैरा 4.1 के

अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹ 61582 का अन्तर था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा । यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह,नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा , परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बही व तीन बैंक खातों का रख-रखाव पंचायत द्वारा किया गया है जोकिkid अनियमित है । अत : नियमानुसार रोकड़ बही का रख -रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख -रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5.1 नियमों के विरुद्ध सात बैंक बचत खातों का खोला जाना

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है । जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार तीन बैंक बचत खाते खोले गए है । अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए एक अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार

कर एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 गृह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत , गृहकर, इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवयशक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में ग्रह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । जोकिkid एक गम्भीर अनियमितता है। अत: पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹ 1.24 लाख अधिक व्यय करने बारे

पंचायत सचिव सिहूंड द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान SDP व MPLADS के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹74037, ₹50171, इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से **₹1.24 लाख** अधिक खर्च किए गए जोकि अनियमित है । इस अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7.1 अनुदान का उपयोग न करना ₹ 3.20 लाख:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान **₹ 319995** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था , जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 172 दिनांक 31-08-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिहूंड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत सिहूंड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7.2 बिना औपचारिक्ताओं पूर्ण कर लाभार्थियों को अनुदानों से भुगतान ₹0.68 लाख

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अनुदान की राशि का भुगतान किया गया उससे सम्बन्धित कोई भी औपचारिकता पंचायत द्वारा पूर्ण नहीं की गई जिसके अभाव में ऑडिट द्वारा भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी । जोकि एक गम्भीर अनियमितता है । अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

वा.सं ,माह	**अनुदान शीर्ष**	**लाभार्थी का नाम**	**राशि**	**रोकड़ बही पृष्ठ सं**
44, 03/14	IAY	श्री नथा राम गाँव सिहूंड	20000	52
28, 12/14	RAY	श्री कौशल्या देवी	37500	73
37ए ,01/15	NFBY	श्री सवित्री देवी	10000	77
		कुल जोड़	**₹ 67500**	

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 0.26 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार

पंचायत द्वारा ₹ 26166 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :172 दिनांक 31-08-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत सिहूंड को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत सिहूंड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 क्रय की गई ₹ 0.48 लाख निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹ 47533 लाख की निर्माण व अन्य सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज व जारी करना नहीं दर्शाया गया है। जोकि एक गम्भीर मामला है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 172 दिनांक 31-08-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिहूंड को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत सिहूंड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10 निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को उपलब्ध न करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में चयनित माह के निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएँ अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। प्राकलन व माप पुस्तिका के अभाव में कार्य की मात्रा , भुगतान की दर व भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या :174 दिनांक 31-8-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिहूंड को अवगत करवाया , परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा के दौरान अवगत करवाया की तकनीकी सहायक के हड़ताल पर होने के कारण सम्बन्धित रिकॉर्ड अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका । जो की अनुचित है।

सम्बन्धित अभिलेख को तकनीकी सहायक से लेकर आगामी ऑडिट में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 174 दिनांक 24-08-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत सिहूंड को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत सिहूंड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	ग्रह-कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
3.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
4.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	डाक टिकट रजिस्टर
6.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
7.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
8.	खाता बही
9.	रसीद बुक रजिस्टर

12 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है ,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमितताएं

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

14 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

15 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है ।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 29 / 2016–खण्ड–1–5750–5753 दिनाँकः 05.11.2016
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत सिहुंड़, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कॉंगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.